



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940

No. 1373]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

(आय-कर)

का.आ.1517.(अ)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (ii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2019-2020 और पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों को लागू होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2खख के उपनियम (2) की सारणी में, क्रम सं० 10 के सामने स्तंभ (2) से स्तंभ (4) के नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं.17/2018/फा.सं. 370142/02/2018-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (टीपीएल-2)

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अधिसूचना संख्या सा.का.नि.332 (अ), तारीख. 03/04/2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

(Income-tax)

S.O. 1517(E).—In exercise of the powers conferred by section 295, read with sub-clause (ii) of clause (14) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) Short title, Commencement and application. – These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2019 and shall apply to the assessment year 2019-2020 and subsequent assessment years.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2BB, in sub-rule (2), in the Table, against serial number 10, the entries under columns (2) to (4) shall be omitted;

[Notification No. 17/2018/F. No.370142/02/2018-TPL]

PRAVIN RAWAL, Dir. (TPL-II)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962, and was last amended by *vide* notification number G.S.R. 332(E) dated 03/04/2018.